क्रम-संख्या—249

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 सितम्बर, 2002

भाद्रपद 15, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1659/सत्रह–वि–1–1 (क)-15-2002

लखनऊ, 6 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 पर दिनांक 5 सितम्बर, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2002)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायगा।

(2) यह 21 जून, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 2001 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"(2) आयोग में राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट निम्नलिखित महिला सदस्य होंगी :—

(क) अध्यक्ष, जो कोई ऐसी महिला होगी जिसने सामाजिक सेवा या महिला कल्याण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो;

(ख) सात सदस्य, जिनमें से,—

(एक) दो सामान्य श्रेणी में से होंगी ;

(दो) दो अनुसूचित जातियों में से होंगी ;

(तीन) दो नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों में से होंगी ;

(चार) एक अनुसूचित जनजातियों में से होगी और यदि इस वर्ग में उपयुक्त महिला उपलब्ध न हो तो उप खण्ड (एक), उप खण्ड (दो) या उप खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट किसी वर्ग में से होगी;

(ग) एक सदस्य-सचिव जो राज्य सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न श्रेणी की महिला अधिकारी होगी जो राज्य की किसी सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा की सदस्य हो या राज्य के अधीन कोई सिविल पद समुचित अनुभव के साथ धारण करती हो।

(3) नाम-निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्य ऐसी योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान महिलायें होंगी जिन्होंने महिलाओं के लिये न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा में योगदान दिया हो।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2002

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
ए० बी० शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

राज्य महिला आयोग की स्थापना करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 अधिनियमित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 में उक्त आयोग के गठन की व्यवस्था है। इस धारा में यह उपबन्ध था कि उक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद पर ऐसी महिलाओं का नाम-निर्दिष्ट किया जाय, जिनके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। उक्त धारा में यह भी उपबन्ध था कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, अधिवक्ताओं और पुलिस अधीक्षक से अनिम्न पुलिस अधिकारियों में से प्रत्येक से कम से कम एक सदस्य नाम-निर्दिष्ट किया जायगा और उक्त आयोग का सदस्य सचिव राज्य सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न श्रेणी की महिला अधिकारी होगी। व्यवहारिक

दृष्टि से परीक्षणोपरान्त यह विनिश्चय किया गया है उक्त अधिनियम में संशोधन करके आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर नाम-निर्देशन के लिए न्यूनतम अर्हता के रूप में किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के संबंध में उपबन्ध का विलोप कर दिया जाय और सभी वर्गों को सम्यक् प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से तीन सदस्य सामान्य श्रेणी से, दो सदस्य अनुसूचित जातियों में से, एक सदस्य नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से और एक सदस्य अनुसूचित जातियों या उक्त श्रेणियों में किसी श्रेणी से नाम-निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 21 जून, 2002 को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया।

तत्पश्चात् यह विनिश्चय किया गया उपर्युक्त आयोग में तीन सदस्य सामान्य श्रेणी में से और एक सदस्य नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों में से के बजाय दो सदस्य सामान्य श्रेणी में से और दो सदस्य नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों में से नाम-निर्दिष्ट किये जाने की व्यवस्था की जाय।

यह विधेयक उपर्युक्त संशोधनों के साथ उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 1659(2)/XVII-V–1–1(KA) -15-2002

Dated Lucknow, September 6, 2002

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Mahila Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 2002) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 5, 2002:–

THE UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR WOMEN (AMENDMENT) ACT, 2002

(U. P. ACT NO. 6 OF 2002)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh State Commission for Women Act, 2001.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Commission for Women (Amendment) Act, 2002.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 21, 2002.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 34 of 2001

2. In section 3 of the Uttar Pradesh State Commission for Women Act, 2001, hereinafter *referred* to as the principal Act, *for* sub-section (2) the following sub-sections shall be *substituted*, namely:–

"(2) The Commission shall consist of the following women members nominated by the State Government–

(a) Chairperson who shall be a woman having made special contribution in the field of social service or women welfare;

(b) Seven members, out of which,-

(i) two from amongst the general category;

(ii) two from amongst the Scheduled Castes;

(iii) two from amongst other backward classes of citizens;

(iv) one from amongst the Scheduled Tribes and if no suitable woman is available in this class then from any of the classes *referred* to in sub-clause *(i)* sub-clause *(ii)* or sub-clause *(iii)*; and

(c) a Member-Secretary, who shall be a woman officer, not below the rank of Special Secretary to the State Government, who is a member of a Civil service of the State or of an All India Service or holds a civil post under the State with appropriate experience.

(3) The chairperson and members nominated shall be women of ability, integrity and standing having a record of selfless service for the cause of justice to women."

Repeal and saving

3.(1) The Uttar Pradesh State Commission for Women (Amendment) Ordinance, 2002 is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 6 of 2002

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
A. B. SHUKLA,
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Commission for Women Act, 2001 has been enacted to establish a State Commission for Women and to provide for matters connected therewith or incidental thereto Section 3 of the said Act provides for the constitution of the said Commission. This section provided for the nomination of such women to the office of the Chairperson and members of the said Commission as were possesing a Degree of a University established by law in India or a qualification recognised as equivalant thereto. It was also provided in the said section that atleast one member each should be nominated from amongst the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, other backward classes of citizens, minorities, Advocates and Police offices not below the rank of Superintendent of Police and that the Member-Secretary of the said Commission should be a woman officer not below the rank of Special Secretary to the State Government. After examining the practical aspect it was decided to amend the said Act to provide for the omission of the provision regarding the degree of a University as the minimum qualification for nomination to the offices of the Chairperson as the members of the said Commission and empowering the State Government to nominate three members from amongst the general category, two members from amongst Scheduled Castes, one member from amongst backward classes of citizens and one member from amongst the Scheduled Tribes or any of the said categories so as to give due representation to all classes.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Commission for Women (Amendment) Ordinance, 2002 (U.P. Ordinance no. 6 of 2002) was promulgated by the Governor on June 21, 2002.

Thereafter it was decided to provide for the nomination of two members from amongst the general category and two from amongst the backward classes of citizen instead of three members from amongst general category and one member from amongst the backward classes of citizen in the aforesaid Commisison.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance, with the aforesaid amendment.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी०-547 सा० विधायी—(1284)—2002—597—(कम्प्यूटर/आफसेट)।